भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 338

12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: श्रीअन्न की खेती और उत्पादन

***338. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः**

श्री नरेश गणपत म्हस्केः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान श्रीअन्न के अंतर्गत कृषि क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत श्रीअन्न की मूल्य शृंखला में सहायता प्रदान करने वाले कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कृषि उद्यमियों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान श्रीअन्न आधारित उत्पादों के निर्यात के आंकड़े क्या हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्रीअन्न वर्ष की घोषणा के बाद इसमें कितना परिवर्तन आया है;

(ग) सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, स्टार्टअप्स और श्रीअन्न आधारित उत्पादों के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश में श्रीअन्न की खेती, प्रसंस्करण और खपत को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गौण श्रीअन्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने अथवा सुनिश्चित खरीद करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"श्रीअन्न की खेती और उत्पादन" के संदर्भ में दिनांक 12 अगस्त, 2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 338 के भाग (क) से (ड.) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क): भारत विश्व में मिलेट का 38.4% उत्पादन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक देश है, (एफ.ए.ओ., 2023)। देश ने वर्ष 2024-25 (तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार) के दौरान 180.15 लाख टन मिलेट उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है, जो पिछले वर्ष के उत्पादन से 4.43 लाख टन अधिक है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, मिलेट की खेती के अंतर्गत आ रहे क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता के राज्य-वार और वर्ष-वार आँकड़े **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफ़.पी.ओ.) में से 412 एफ़.पी.ओ. का गठन मिलेट्स को प्राथमिक फसल के रूप में और 143 एफ़.पी.ओ. का गठन मिलेट्स को द्वितीयक फसल के रूप में लेकर किया गया है। प्राथमिक और द्वितीयक फसल मिलेट्स वाले एफ़.पी.ओ. की राज्य-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत "नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिसमें 5 नॉलेज पार्टनर्स और 24 आर.के.वी.वाई. एग्रीबिज़नेस इन्क्यूबेटर्स (आर-ए.बी.आई.) जो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और उन्हें इनक्यूबेट करते हैं। इन्हीं में से एक आर-एग्रीबिज़नेस इन्क्यूबेटर्स नामतः आईसीएआर-भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद**,** तेलंगाना मिलेट्स आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। अब तक**, 151 मिलेट्स आधारित स्टार्टअप्स सहित** 1943 कृषि स्टार्टअप्स को 146.38 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है। इन 151 मिलेट्स आधारित स्टार्टअप्स का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ख): वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत द्वारा 121.37 हज़ार मीट्रिक टन मिलेट्स का निर्यात किया गया। पिछले पाँच वर्षों के दौरान मिलेट्स के अंतर्गत किए गए निर्यात का फसल-वार विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ग) और (घ): देश भर में मिलेट की खेती और खपत को बढ़ावा देने तथा मिलेट-आधारित उत्पादों से संबंधित फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टार्ट-अप्स और निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने पूरी वैल्यू चेन में लक्षित हस्तक्षेपों की एक सीरीज़ शुरू कर दी है।

इस संबंध में एक प्रमुख पहल मिलेट-आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना है, जिसे वित्त वर्ष 2022-2023 से वित्त वर्ष 2026-2027 की अवधि के लिए 800 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय (फाइनेंसियल आउटले) के साथ शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देना और चुनिंदा मिलेट-आधारित उत्पादों की मैनुफ़ैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके तथा घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में उनकी बिक्री को समर्थन देकर मूल्यवर्धन को प्रोत्साहित करना है।

मिलेट्स और मिलेट-आधारित उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम, वर्चुअल बायर-सेलर मीट, ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन्स और एक समर्पित मिलेट वेब पोर्टल एवं ई-कैटलॉग के विकास सहित कई पहल की हैं। एपीडा ने एक निर्यात संवर्धन मंच एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम (ई.पी.एफ.) की भी स्थापना की है और मिलेट्स के एक्सपोर्ट ईकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए स्टार्ट-अप्स, अनुसंधान संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

इसके अलावा, मूल्यवर्धित मिलेट उत्पादों, विशेष रूप से रेडी-टू-कुक और रेडी-टू-ईट सेगमेंट्स के विकास में कार्यरत स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान की जा रही है। खाद्य क्षेत्र के स्टार्ट-अप्स को इस क्षेत्र में इनोवेशन और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ट्रेड और ट्रेसेबिलिटी को अधिक सुगम बनाने के लिए, मिलेट्स और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए अलग-अलग हार्मोनाइज्ड सिस्टम्स कोड्स शुरू किए गए हैं।

"नवाचार एवं कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम के अंतर्गत, चयन एवं निवेश समिति की सिफ़ारिश के आधार पर, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उद्यमियों/स्टार्टअप्स को आइडिया/प्री-सीड स्टेज में 5 लाख रुपये तक और सीड स्टेज में 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्टार्ट-अप्स को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यावसायिक प्लेटफार्मों आदि को बाज़ार में लॉन्च करने और व्यावसायिक व्यवहार्यता प्राप्त करने हेतु अपने उत्पादों और ऑपरेशन्स का विस्तार करने में सहायता प्रदान के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उत्पादन के संदर्भ में, मिलेट्स (श्रीअन्न) की खेती और उत्पादकता बढ़ाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात् जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के सभी ज़िलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.) के अंतर्गत पोषक अनाज उप-मिशन कार्यान्वित कर रहा है।

मिलेट्स को प्रमुख राष्ट्रीय पोषण एवं कल्याण कार्यक्रमों में भी शामिल किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान के तहत, मिलेट्स को उनके पोषण संबंधी लाभों के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवा और मिड-डे मील स्कीम जैसी योजनाओं के तहत अधिक से अधिक मिलेट्स को शामिल करने के लिए अपने खरीद संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है, जिससे ज़रूरतमंद आबादी के बीच मिलेट की खपत में वृद्धि हुई है।

70 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त भारत के एक प्रस्ताव के पश्चात, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च, 2021 में अपने 75वें सत्र में, वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया था। वर्ष भर चले इस उत्सव से मिलेट के सेवन के पोषण संबंधी और स्वास्थ्य लाभों, प्रतिकूल और बदलती जलवायु परिस्थितियों में मिलेट्स की खेती की उपयुक्तता और उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए स्थायी बाज़ार अवसर पैदा करने के लाभों के विषय में अत्यधिक जागरूकता उत्पन्न हुई।

भारत की अध्यक्षता में मार्च, 2023 में नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय वैश्विक मिलेट्स सम्मेलन 102 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 को समर्पित इस वैश्विक सम्मेलन में मिलेट्स से संबंधित जैसे मिलेट उत्पादन और उपभोग, पोषण संबंधी लाभ, मूल्य श्रृंखला विकास, मार्केट लिंकेज और अनुसंधान एवं विकास महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के एक भाग के रूप में, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, विशेष रूप से मिलेट उत्पादों की प्रोसेसिंग करने वाले उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 30 ज़िलों में "मिलेट महोत्सव" की एक सीरीज़ आयोजित की गई। इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप्स, उद्यमियों को बढ़ावा देना और खाद्य उद्योग के माइक्रो सेक्टर को बढ़ावा देना था।

(ङ): किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने 3 वर्षों (वर्ष 2023 से लेकर) के लिए माइनर मिलेट जैसे कि फॉक्सटेल मिलेट (कंगनी/काकुन), प्रोसो मिलेट (चीना), कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट (कुटकी) और स्यूडो मिलेट्स जैसे कि बक-व्हीट (कुट्टू) और अमेरंथस (चौलाई) की खरीद की अनुमति दी है, जो रागी की एम.एस.पी. पर आधारित है। यह मूल्य वर्ष 2023-24 में 3846 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 4290 रुपये प्रति क्विंटल और वर्ष 2025-26 में 4886 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।

अनुबंध-I

मिलेट्स का राज्य-वार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता

राज्य	क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)					उत्पादन (हजार टन में)					उत्पादकता (किग्रा./हेक्टेयर)				
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
आंध्र प्रदेश	206.00	152.00	133.00	168.54	165.00	540.61	359.15	375.92	428.59	417.89	2624	2363	2826	2543	2533
अरुणाचल प्रदेश	26.82	27.12	27.46	27.76	#	27.62	28.01	28.45	28.79	#	1030	1033	1036	1037	#
असम	4.97	4.82	6.00	8.73	7.00	3.26	3.20	4.79	6.76	5.15	656	664	799	775	735
बिहार	10.38	8.48	7.16	7.28	9.01	10.31	8.51	7.18	7.01	8.78	993	1004	1003	962	974
छत्तीसगढ़	92.20	56.88	47.52	44.62	40.85	26.24	28.18	23.54	25.94	19.34	285	495	495	581	473
गुजरात	520.26	510.48	551.56	584.65	543.19	1091.97	1179.08	1364.09	1408.90	1348.09	2099	2310	2473	2410	2482
हरियाणा	600.48	506.49	553.09	546.96	592.31	1366.56	1132.15	1213.97	1171.12	1261.72	2276	2235	2195	2141	2130
हिमाचल प्रदेश	3.53	3.38	3.27	3.00	3.04	3.13	2.49	2.33	2.08	2.24	886	737	712	691	739
झारखंड	20.77	20.73	17.44	32.92	42.86	17.72	18.07	13.62	31.95	48.11	853	872	781	970	1123
कर्नाटक	1783.00	1638.00	1527.00	1792.00	1692.00	2569.08	2053.60	2032.60	2161.54	2278.59	1441	1254	1331	1206	1347
मध्य प्रदेश	517.00	555.00	605.00	615.00	483.00	1024.13	1181.40	1253.55	1302.01	1145.56	1981	2129	2072	2117	2372
महाराष्ट्र	2885.00	2456.90	2034.50	2271.60	2250.47	2513.82	2305.38	1898.58	2163.74	2558.03	871	938	933	953	1137
नागालैंड	10.17	8.67	12.52	18.04	#	11.31	8.22	14.00	19.82	#	1112	948	1118	1099	#
ओडिशा	83.33	101.05	93.05	115.73	71.98	55.16	68.08	76.34	94.83	58.90	662	674	820	819	818
राजस्थान	4914.58	4362.79	5212.45	4801.07	4997.47	5155.67	4279.74	5673.60	4885.68	5395.64	1049	981	1088	1018	1080
तमिलनाडु	580.22	554.61	489.74	495.75	474.71	905.26	765.48	630.22	676.37	766.00	1560	1380	1287	1364	1614
तेलंगाना	102.00	74.00	73.00	114.00	171.56	166.33	122.76	132.40	255.58	305.84	1631	1659	1814	2242	1783
उत्तर प्रदेश	1093.00	1083.00	1155.00	1348.00	1129.12	2298.20	2225.65	2368.58	2699.53	2158.10	2103	2055	2051	2003	1911
उत्तराखंड	138.00	133.00	115.00	109.26	106.00	200.85	200.38	175.77	167.57	154.99	1455	1507	1528	1534	1462
पश्चिम बंगाल	7.05	6.87	5.56	7.21	6.31	6.98	7.74	6.19	6.61	6.05	991	1126	1114	917	959
अन्य	34.66	24.69	29.16	33.04	78.14	26.34	22.49	25.50	27.20	75.61	760	911	874	823	966
अखिल भारत	**13633.42**	**12288.96**	**12698.48**	**13145.16**	**12864.02**	**18020.55**	**15999.76**	**17321.22**	**17571.62**	**18014.63**	**1322**	**1302**	**1364**	**1337**	**1400**

वर्ष 2024-25 के आंकड़े तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार हैं।
स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
#- अन्य में शामिल

अनुबंध-II

एफ़.पी.ओ., जिनके पास प्राथमिक/द्वितीयक फ़सल के रूप में मिलेट्स हैं, का राज्य-वार विवरण (एम.आई.एस. 05.08.2025 के अनुसार)

राज्य का नाम	**# एफ़.पी.ओ जिनका प्राथमिक फ़सल मिलेट्स है**	**# एफ़.पी.ओ जिनका द्वितीयक फ़सल मिलेट्स है**
आंध्र प्रदेश	26	7
अरुणाचल प्रदेश	6	
असम	2	
बिहार	4	1
छत्तीसगढ़	22	3
गुजरात	20	10
हरियाणा	23	15
हिमाचल प्रदेश	1	
जम्मू और कश्मीर	1	1
झारखंड	2	2
कर्नाटक	82	23
केरल	1	
मध्य प्रदेश	22	6
महाराष्ट्र	31	8
ओडिशा	11	5
राजस्थान	67	22
तमिलनाडु	32	3
तेलंगाना	9	3
त्रिपुरा	1	
उत्तर प्रदेश	38	25
उत्तराखंड	11	9
कुल	**412**	**143**

स्रोत: एस.एफ़.ए.सी.

अनुबंध-III

मिलेट्स आधारित कृषि स्टार्ट-अप्स की राज्य-वार सूची

राज्य	**कृषि स्टार्ट-अप्स की संख्या**
आंध्र प्रदेश	9
असम	1
बिहार	4
छत्तीसगढ़	3
दिल्ली	1
गोवा	1
गुजरात	5
हरियाणा	5
हिमाचल प्रदेश	3
झारखंड	1
कर्नाटक	16
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	18
नई दिल्ली	1
ओडिशा	5
पुडुचेरी	1
पंजाब	2
राजस्थान	5
तमिलनाडु	15
तेलंगाना	43
उत्तर प्रदेश	6
उत्तराखंड	3
कुल	**151**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

अनुबंध-IV

भारत से मिलेट्स का निर्यात

(मात्रा हजार मीट्रिक टन में तथा मूल्य करोड़ रुपये में)

फसल	**2020-21 मात्रा**	**2020-21 मूल्य (रुपये)**	**2021-22 मात्रा**	**2021-22 मूल्य (रुपये)**	**2022-23 मात्रा**	**2022-23 मूल्य (रुपये)**	**2023-24 मात्रा**	**2023-24 मूल्य (रुपये)**	**2024-25 मात्रा**	**2024-25 मूल्य (रुपये)**
ज्वार	42.34	130.82	50.47	150.51	47.25	184.50	37.05	153.25	37.93	155.07
बाजरा	58.44	131.29	64.47	149.11	81.71	246.68	73.31	229.08	56.00	192.71
रागी	25.41	56.97	23.26	52.01	21.44	51.99	18.86	64.07	18.56	65.45
स्मॉल मिलेट्स	1.61	6.92	0.71	3.53	1.10	5.70	3.77	42.13	8.88	89.12
कुल	**127.80**	**326.00**	**138.91**	**355.17**	**151.49**	**488.88**	**132.99**	**488.53**	**121.37**	**502.35**

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस.

*****